छोटा परिवार खुशियों का आधार

District Health Society, Jehanabad

जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद

सदर प्रखंड परिसर, जहानाबाद - 804408

Sadar Block Campus, Jehanabad - 804408

Phone No. – 06114-225411, Fax No. – 06114-225411

Website: - www.dhsjehanabad.bih.nic.in, E-mail-dhsjehanabad@yahoo.com

बिहार सरकार

NATIONAL HEALTH MISSION

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

दिनांक 04.07.2019 को जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति जहानाबाद की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यशाला की कार्यवाही प्रतिवेदन।

उपस्थितिः– यथा पंजी।

जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद एवं सोशियो इकनोमिक एण्ड एडुकेशनल डेवेलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) बिहार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 04.06. 2019 को पूर्वाहन 11:00 बजे समाहरणालय ग्रामप्लेक्स में जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति श्री नवीन कुमार भा.प्र.से. की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते के सदस्यों एवं अन्य हितधारको का उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य –

1. जहानाबाद जिले मे तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा–2003) के विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. जिला में गठित त्री–स्तरीय छापामार दस्ते के सदस्यों एवं अन्य हितधारको का कोटपा–2003 के बारे में प्रशिक्षण वर्धन।
3. अन्यान्य

कार्याशाला में की गई चर्चा–

कार्यशाला का शुभारम्भ डॉ० विजय कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन–सह–सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जहानाबाद द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत से किया गया। सिविल सर्जन–सह–सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम जहानाबाद ने आपने सम्बोधन में जहानाबाद जिले में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक हुए कार्यो के बारे में विस्तार से बताया।

तत्पश्चात श्री एडर्वड केनेडी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, सोशियो इकनोमिक एण्ड एडुकेशनल डेवेलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में अवगत कराते हुए तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को एवं उसके हानियों के बारे प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया। साथ ही उन्होंने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 के विभिन्न धराओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि अव्यस्कों को लम्बाकू कि लत से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के निकट इनके बिक्री को वर्जित किया गया है। उन्होने चालानिंग कि प्रक्रिया को सुगम रुप से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होने बताया कि किस धारा के अंतर्गत स्पॉट फाइन किया जा सकता है एवं किस धारा के अंतर्गत चालानिंग की जा सकती है।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति श्री नवीन कुमार भा.प्र.से. ने अपने सम्बोधन में तम्बाकू जनित रोगों से होने वाले मौतों के प्रति चिंता जताते हुए इस कार्यक्रम को जिले से पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। जिलाधिकारी महोदय ने सबंधित अधिकारियों एवं छापामार दस्ते के सदस्यों को निर्देश दिया कि कोटपा–2003 की धाराओं के अनुपालन हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय। उन्होनें जिला सूचना एवं जनसर्म्पक पदाधिकारी एवं जिला नोडल पदाधिकारी को यह निर्देश दिया कि यथाशीघ्र जिले के प्रमुख स्थानो पर तम्बाकू के दुष्परिणामों की जानकारी वाले होर्डिगं लगवाना सुनिश्चित करें ताकि तम्बाकू के दुष्परिणामों की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाया जा सके।

जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जिला नोडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी सार्वजनिक स्थानों/शैक्षणिक संस्थानो एवं तम्बाकू उत्पाद बिक्री स्थलो पर कोटपा–2003 से संबंधित धाराओं का साइंनेज लगवाना सुनिश्चित कर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देगें। छापामार दस्ते के अध्यक्षों को नियमित रूप से छापामारी का निर्देश दिया साथ ही उल्लधंकार्ताओं को दण्डित करने का भीं। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं सभी छापामार दस्ते के अध्यक्षों को आपस में समन्वय स्थापित करके जिले में तत्काल छापामारी प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया साथ ही तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सोमवारी बैठक के एजेंडे में भी शामिल किया जाय।